भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3796
11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

समुद्री मत्स्याखेट के बाद होने वाला नुकसान और बायकैच

3796. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटीय कर्नाटक में समुद्री मत्स्यपालन से अनुमानित मत्स्याखेट के पश्चात नुकसान और बायकैच कितना है;
(ख) बर्फ, शीत शृंखला, प्रसंस्करण और बायकैच को खाद्य, पशु आहार या अन्य उत्पादों में बदलने के लिए समर्थित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त परियोजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या, सृजित क्षमता और तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा मंगलुरु मत्स्यपालन पत्तन और आस-पास के केंद्रों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अपशिष्ट को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र में हार्वेस्ट के बाद के नुकसान का आकलन करने हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के माध्यम से एक व्यापक अध्ययन किया। इस अध्ययन में कर्नाटक के समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में हार्वेस्ट -उपरांत हानि का अनुमान 6.21 प्रतिशत से 10.13 प्रतिशत के मध्य लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने भी अवगत कराया है कि आईसीएआर–केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (CIFT) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार हार्वेस्ट - उपरांत हानि का अनुमान लगभग 6 प्रतिशत है। कर्नाटक सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, समुद्री मात्स्यिकी में उपयोग किए जाने वाले गियर और नौका के प्रकार के आधार पर बायकैच लगभग 20-40% दर्ज की गई थी।

(ख) से (घ): मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कोल्ड चेन सुविधाओं को सुदृढ़ करने, बायकैच को कम करने और पकड़ी गई मछलियों के कुशल उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने, बेहतर मूल्य प्राप्ति और मछलियों

की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन और पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, समुद्री बाय-कैच को कम करने के लिए सतत उपायों के अंगीकरण को बढ़ावा देता है। इसी के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रेरित किया जाता है कि वे सभी प्राप्त मत्स्य संसाधनों का सर्वोत्तम और मूल्य-वर्धित उपयोग करें, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान कम हो और मात्स्यिकी क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिले।

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने ₹ 1053.60 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाले कर्नाटक सरकार मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अनुमोदित गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ कोल्ड चेन संबंधी अवसंरचना भी शामिल है, जैसे कि आइस प्लांट/ कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (126 इकाइयाँ), पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन इकाइयाँ (1065 इकाइयाँ), जिनमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स सहित साइकिल तथा आइस बॉक्स सहित तीन-पहिया वाहन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र (46 इकाइयाँ), फिश कियोस्क (100 इकाइयाँ), मत्स्य खुदरा बाजार (1 इकाई), मत्स्य वाहिनी मोबाइल पर्यावरण-अनुकूल मत्स्य कियोस्क (300 इकाइयाँ) तथा अत्याधुनिक थोक मत्स्य बाजार (1 इकाई) भी अनुमोदित गतिविधियों में सम्मिलित हैं। पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत, लाभार्थियों की पहचान और चयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि पीएमएमएसवाई के कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत 171 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने ₹37.47 करोड़ की परियोजना लागत पर मंगलुरु फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन को स्वीकृति दी है। इसमें बेहतर ठहराव (बर्थिंग) की सुविधाएँ, फिश लैंडिंग और नीलामी के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़-सुथरे मछली हैंडलिंग क्षेत्र, उन्नत जल आपूर्ति, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन सुविधाएँ, तथा हार्बर की बेहतर उपयोगिताएँ शामिल हैं, ताकि रख-रखाव में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और मछली की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, समान सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आस-पास के क्षेत्रों में गंगोली फिशिंग हार्बर (₹ 22.18 करोड़) और माल्पे फिशिंग हार्बर (₹ 12.52 करोड़) के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को भी मंज़ूरी दी गई है। कर्नाटक सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि मछुआरों को छोटी मछलियों को बचाने के लिए स्क्वायर-मेश कॉड-एंड ट्रॉल नेट (35 मिमी) और कछुओं को बाहर निकालने के लिए ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDs) लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; इन दोनों उपायों का उद्देश्य संरक्षण और सतत मात्स्यिकी है।
